

राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,

2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:प.4(1)(309)पोषा./गेहूं/ICDS/2013-14/ 11109-14/ जयपुर, दिनांक

उप निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग,

समस्त।

19.1.2017

विषय :- गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP) के तहत भारत सरकार से प्राप्त गेहूं के उपयोग के संबंध में।

प्रसंग:- समसंख्यक विभागीय पत्रांक 91383-415 दिनांक 12.07.16 , 97963-96 दि. 25.07.16 एवं 108714746 दि.12.08.16 , 155852-884 दिनांक 22.11.16 एवं 167497-529 दिनांक 19.12.2016 के क्रम में।

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा भारत सरकार द्वारा गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP) के तहत राज्य सरकार को रियायती दर पर उपलब्ध कराये जा रहे गेहूं का उपयोग स्वयं सहायता समूहों द्वारा लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार (टेक होम राशन एवं गरम पूरक पोषाहार) के निर्माण में किये जाने हेतु आपके जिले में संचालित स्वयं सहायता समूहों एवं उचित मूल्य की दुकानों की मैपिंग कराने एवं प्रतिमाह आवश्यक गेहूं की मात्रा के आंकलन हेतु विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की राशन दुकानों के साथ मैपिंग एवं आंगनबाड़ी केन्द्रवार गेहूं की आवश्यकता की ऑनलाइन फीडिंग हेतु वेब पेज तैयार कराया गया है। उक्त वेब पेज का लॉगिन यूआरएल यूआरए http://164.100.153.82/RRCC/Login_ICDS.aspx है। उक्त पेज पर लॉगिन करने हेतु यूजर्स नेम एवं पासवर्ड आपको उपलब्ध कराकर वेब पेज पर ऑनलाइन एन्ट्री का कार्य दिनांक 09.12.2016 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में विडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान भी निर्देशित किया गया है।

किन्तु यह देखने पर आया है कि कुछ जिलों द्वारा अभी तक इस कार्य को शुरू नहीं किया गया है एवं कुछ जिलों द्वारा इस कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए दिनांक 25.01.2017 तक गेहूं की आवश्यकता एवं राशन दुकानों की मैपिंग करते हुए ऑनलाइन फीडिंग का कार्य पूर्ण करावें।

(डॉ समित शर्मा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं

राजस्थान जयपुर